[2019] 4 एस. सी. आर 163

प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम

कर (केंद्रीय)-I

वी.

एनआरए आयरन और स्टील पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2019 की सिविल अपील संख्या 2463)

05 मार्च, 2019

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961 - एस. 68-नकद क्रेडिट-प्राप्त धन

विभिन्न कंपनियों से शेयर पूंजी/प्रीमियम के माध्यम से-निर्धारण अधिकारी (ए. ओ.) ने प्रत्यर्थी-निर्धारिती को लेनदेन की वास्तविकता स्थापित करने के लिए कारणदर्शक नोटिस जारी किया-अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि पूरी शेयर पूंजी सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से खाता प्राप्तकर्ता चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त की गई थी, और लेनदेन की पहचान और वास्तविकता स्थापित करने के लिए आयकर रिटर्न पावती जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए-ए. ओ. ने निवेशक कंपनियों के प्रतिनिधियों को समन जारी किया।

-

किसी भी निवेशक कंपनी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ-ए. ओ. ने स्वतंत्र रूप से इस संबंध में फील्ड पूछताछ की।

निवेशक कंपनियों की पहचान और साख-योग्यता-मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी में पूछताछ की गई जहां ये कंपनियां हैं।

कंपनियों को स्थित बताया गया था-की गई पूछताछ के आधार पर, ए. ओ. ने माना कि निर्धारिती लेनदेन की वास्तविकता को साबित करने में विफल रहा था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः निर्धारिती लेन-देन की वास्तविकता, लेनदारों की पहचान, और उन निवेशकों की साख-योग्यता को साबित करने के लिए एक कानूनी दायित्व के तहत है, जिनके पास ए. ओ. की संतुष्टि के लिए प्रश्न में निवेश करने की वित्तीय क्षमता होनी चाहिए, ताकि प्राथमिक दायित्व का निर्वहन किया जा सके-यदि पूछताछ और जांच से लेनदारों की पहचान संदिग्ध या संदिग्ध, या साख-योग्यता की कमी का पता चलता है, तो लेनदेन की वास्तविकता स्थापित नहीं होगी-ऐसे मामले में, एस. 68 तत्काल मामले में, ए. ओ. द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि कुछ निवेशक कंपनियां अस्तित्व में नहीं थीं, और निर्धारिती द्वारा उल्लिखित पते पर उनका कोई कार्यालय नहीं था-कोलकाता की कंपनियां ए. ओ. के सामने पेश नहीं हुईं, न ही उन्होंने धन के स्रोत को प्रमाणित करने के लिए अपने बैंक विवरण प्रस्तुत किए।

जिनसे कथित निवेश किए गए थे-इसके अलावा, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि निवेशक कंपनियों ने निर्धारिती कंपनी के शेयरों के लिए रुपये के उच्च प्रीमियम पर आवेदन क्यों किया था। 190 प्रति शेयर, भले ही शेयर का अंकित मूल्य रु। 10 / - इसके अलावा, किसी भी तथाकथित निवेशक कंपनी ने धन का स्रोत स्थापित नहीं किया जिससे उच्च शेयर प्रीमियम का निवेश किया गया था-निर्धारिती जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहा।

एस के तहत आवश्यक है। 68 - इसलिए, ए. ओ. को निर्धारिती की आय में राशि वापस जोड़ने के लिए उचित ठहराया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

या प्रीमियम साझा करें। निर्धारित कानून के अनुसार, प्रारंभिक जिम्मेदारी निर्धारिती पर है कि वह लेन-देन की वास्तविकता और इसके तहत निवेशकों की साख-योग्यता को ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित करे। अधिनियम की धारा 68। निर्धारिती से अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के लिए ऋणदाताओं की पहचान का प्रमाण, ऋणदाताओं की धन अग्रिम करने की क्षमता, और

लेन-देन की वास्तविकता। विषय के संबंध में लेन-देन की वास्तविकता, यह निर्धारिती द्वारा साबित करने के लिए है

ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य, कि शेयर पूंजी में किए गए निवेश वास्तविक उधार हैं, क्योंकि तथ्य विशेष रूप से हैं निर्धारिती के ज्ञान के भीतर। [पैरा 8.1,8.2 और 8.3]

[176 - सी-ई; 177-ए]

काले खान मोहम्मद हनीफ बनाम। सी. आई. टी. (1963) 50 आई. टी. आर. 1 (एससी); रोशन दी हट्टी बनाम। सी. आई. टी. (1977) 107 आई. टी. आर. (एस. सी.)-पुष्ट।

सी. आई. टी वी. प्रिसिजन फाइनेंस प्रा. लिमिटेड (1994) 208 आई. टी. आर. 465 (कैल); सी. आई. टी. बनाम. ओएसिस हॉस्पिटैलिटीज प्रा. लिमिटेड 333 आईटीआर 119 (दिल्ली) (2011); शंकर घोष बनाम। आई. टी. ओ. (1985) 23 टी. टी. जे. (कैल.); सी. आई. टी वी. कामधेनू स्टील एंड अलॉयज लिमिटेड एंड अदर (2012) 206 टैक्समैन 254 (दिल्ली)-अनुमोदित।

2. तत्काल मामले में, मूल्यांकन अधिकारी ने एक स्वतंत्र और विस्तृत जांच की, जिसमें मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी की तथाकथित निवेशक कंपनियों का सर्वेक्षण शामिल था ताकि प्रिंसिपल कॉम ऑफ आईटी (सी. ई. एन. टी.)-I v.

एनआरए आयरन और स्टील पी. वी. टी. लिमिटेड।

पक्षकारों की साख-योग्यता, निवेशित निधियों का स्रोत और लेन-देन की वास्तविकता। फील्ड रिपोर्ट

यह पता चला कि शेयरधारक या तो अस्तित्व में नहीं थे, या उनमें साख की कमी थी। ए. ओ. ने विस्तृत जांच की थी जिससे पता चला कि यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि शेयर आवेदन का पैसा स्वतंत्र कानूनी संस्थाओं से प्राप्त हुआ था। सर्वेक्षण से पता चला कि कुछ निवेशक कंपनियाँ अस्तित्व में नहीं थीं और निर्धारिती द्वारा उल्लिखित पते पर उनका कोई कार्यालय नहीं था। कोलकाता की कंपनियाँ ए. ओ. के सामने पेश नहीं हुईं और न ही उन्होंने अपने बैंक विवरण प्रस्तुत किए।

उन निधियों के स्रोत की पुष्टि करें जिनसे कथित निवेश किए गए थे। दिए गए पते पर गुवाहाटी की दोनों कंपनियाँ अस्तित्व में नहीं पाई गईं। लेन-देन की वास्तविकता पूरी तरह से पाई गई संदिग्ध। पूछताछ से पता चला कि निवेशक कंपनियों ने नगण्य कर योग्य आय के लिए रिटर्न दाखिल किया था, जिससे पता चलता है कि निवेशकों के पास रुपये के बीच की राशि का निवेश करने की वित्तीय क्षमता नहीं थी। 90,00,000 रु. तक। 95,00,000 इतने उच्च प्रीमियम पर शेयरों की खरीद के लिए ए. वाई. 2009-10 में। निवेशक ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

कंपनियों ने निर्धारिती कंपनी के शेयरों के लिए रुपये के उच्च प्रीमियम पर आवेदन किया था। 190 प्रति शेयर, भले ही शेयर का अंकित मूल्य रु। 10 / - प्रति शेयर। इसके अलावा, किसी भी तथाकथित निवेशक कंपनी ने धन का स्रोत स्थापित नहीं किया जिससे उच्च शेयर प्रीमियम का निवेश किया गया था। एक निवेशक की आयकर फाइल संख्या का मात्र उल्लेख अधिनियम की धारा 68 के तहत दायित्व का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पूरा मामला लेन-देन फर्जी लग रहा था और इसमें विश्वसनीयता का अभाव था। शेयर पूंजी/प्रीमियम के लबादा के माध्यम से गैर-लेखा धन के रूपांतरण की प्रथा की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। यह विशेष रूप से शेयरों के निजी नियोजन के मामले में होगा, जहां निर्धारिती पर अधिक जिम्मेदारी रखी जानी चाहिए क्योंकि जानकारी निर्धारिती की व्यक्तिगत जानकारी में है। [पैरा 9,12 और 14] [178-ए, बी; 180-एफ-एच, 181-ए-डी, एफ-एच, 182-सी-ई]

सुमति दयाल बनाम. सी. आई. टी. [1995] 214 आई. टी. आर. 801 (एस. सी.); सी. आई. टी. बनाम। पी. मोहनकला 291 आईटीआर 278; PR.CIT-6, नई दिल्ली बनाम। एन. डी. आर. प्रमोटर्स प्रा. लिमिटेड 410 आई. टी. आर. 379; रोशन दी हट्टी बनाम। सी. आई. टी. (1992) 2 एस. सी. सी. 378; नेमी चंद कोठारी बनाम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2003] 264 आई. टी. आर. 254 (गौ.); सी. आई. टी वी. दिव्य पट्टे पर देना और फाइनैंसिंग लिमिटेड (2007) 158 टैक्समैन 440; सी. आई. टी. बनाम। मूल्य कैपिटल सर्विस (पी) लिमिटेड (2008) 307 आई. टी. आर. 334 पर।

सी. आई. टी वी. लवली एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड (2008) 299 आईटीआर 268 (दिल्ली)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2008) 299 आईटीआर 268 (दिल्ली) संदर्भित किया गया है पै रा 4

(1994) 208 आई. टी. आर. 465 (कैल) मंजूरी मिल गई। पै रा 8.2

पै रा 8.2 पुष्टि की

(1963) 50 आईटीआर 1 (एससी)

(1977) 107 आईटीआर (एससी) पुष्टि की पै रा 8.2

333 आईटीआर 119 (दिल्ली) (2011)

पै

रा 8.3

मंजूरी मिल गई।

(1985) 23 टी. टी. जे. (कैल.)

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 8.3

(2012) 206 टैक्समैन 254 (दिल्ली)

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 8.4

पैरा 10 (i)

उस पर भरोसा करें

[1995] 214 आईटीआर 801 (एससी)

पै

रा 10 (i)

उस पर भरोसा करें

291 आईटीआर 278

पै

रा 10 (iii)

410 आईटीआर 379

उस पर भरोसा करें

(1992) 2 एस. सी. सी. 378

पै

रा 10 (iv)

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10 (वी)

उस पर भरोसा करें

[2003] 264 आई. टी. आर. 254 (गौ.)

पै

रा 10 (vii)

(2007) 158 टैक्समैन 440

उस पर भरोसा करें

(2008) 307 आईटीआर 334

पै

रा 10 (vii)

उस पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2463

2019 से।

उच्च न्यायालय के 26.02.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के आई. टी. ए. संख्या 244 में नई दिल्ली में दिल्ली का न्यायालय।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., सुश्री प्रवीण गौतम, रुपेश

कुमार, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था इंदु मल्होत्रा, जे. लीव मंजूर।

1. वर्तमान अपील दिनांकित निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है।

26.02.2018 दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 2018 की आयकर अपील संख्या 244 में पारित किया। राजस्व ने प्रिंसिपल कॉम ऑफ आईटी (सी. ई. एन. टी.)-आई. वी. के फैसले को चुनौती दी है।

एनआरए आयरन और स्टील पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

वर्तमान अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय का।

2. विचार के लिए जो मुद्दा उत्पन्न होता है वह यह है कि ऐसे मामले में जहां

शेयर पूंजी/प्रीमियम को निर्धारिती कंपनी की लेखा पुस्तकों में जमा किया जाता है, प्रमाण की जिम्मेदारी निर्धारिती पर होती है कि वह निवेशक कंपनियों की पहचान, निवेशकों की ऋण योग्यता और लेनदेन की वास्तविकता के ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के लिए स्थापित करे।

3. संक्षेप में बताए गए मामले के तथ्य इस प्रकार हैंः

3.1 . तत्काल मामला 2009 के मूल्यांकन वर्ष से संबंधित है।

10 , जिसके लिए प्रत्यर्थी कंपनी-निर्धारिती ने 29.9.2009 पर आय का मूल विवरणी दाखिल किया था जिसमें कुल आय रु. 7,01,870 घोषित की गई थी।

यू/एस द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। 148 मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए अधिनियम

उसमें दर्ज कारणों के लिए 13.04.2012 पर।

3.2 . निर्धारिती ने 23.04.2012 पर नोटिस के लिए प्रस्तुतियाँ दाखिल कीं।

यू/एस। 148 , और 30.04.2012 पर आपत्तियाँ। 13.08.2012 पर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था। 13.01.2014 पर कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था। द. निर्धारिती ने 22.01.2014 पर विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल कीं।

3.3 . निर्धारिती कंपनी ने अपने रिटर्न में दिखाया कि पैसा

कुल मिलाकर रु। 17,60,00,000 / - वित्तीय वर्ष के दौरान मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित निम्नलिखित कंपनियों से शेयर पूंजी/प्रीमियम के माध्यम से प्राप्त किया गया थाः

एस. नहीं। शेयरधारक का नाम

राशि

(ए) मुंबई स्थित कंपनियाँ

क्लिफ्टन सिक्योरिटीज प्रा. लि. लि.

9

5,00,000

1 .

9

5,00,000

2 .

लेक्सस इन्फोटेक लिमिटेड

9

5,00,000

3 .

निक्को सिक्योरिटीज प्रा. लि. लि.

9

0,00,000

रियल गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लि.

4 .

9

5,00,000

5 .

हेमा ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लि.

इटरनिटी मल्टी-ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड लि.

6 .

9

0,00,000

(ख) कोलकाता स्थित कंपनियाँ

1 .

9

0,00,000

नेहा कैसेट्स प्रा. लि.

वार्नर मल्टीमीडिया लिमिटेड

2 .

9

5,00,000

गोपीकर सप्लाई प्रा. लि.

9

0,00,000

3 .

गंगा बिल्डर्स लिमिटेड

4 .

9

0,00,000

ग्रोमोर फंड मैनेजमेंट कं. लिमिटेड

9

5,00,000

5 . 6 .

बयानवाला ब्रदर्स प्रा. लि.

9

5,00,000

सुपर फाइनेंस लिमिटेड

9

0,00,000

7 .

शिवलक्ष्मी एक्सपोर्ट लिमिटेड

8 .

95,0

0,000 [2019] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नटराज विनय प्राइवेट लिमिटेड लि.

9 .

95

,00,000

नीलकंठ कमोडिटीज प्रा. लि.

10 .

95

,00,000

प्रमुख व्यापर प्रा. लि. लि.

11 .

9

5,00,000

((c) गुवाहाटी स्थित कंपनियाँ

इस्पात शीट्स लिमिटेड

90

,00,000

1 .

नोवेल्टी ट्रेडर्स लिमिटेड

2 .

9

0,00,000

कुल राशि

1

7,60,00,000

यह उल्लेख करना उचित है कि शेयरों का अंकित मूल्य रु।

10 प्रति शेयर, निवेशक कंपनियों द्वारा रु। 190 प्रति शेयर।

3.4 . निर्धारण अधिकारी के समक्ष मुद्दा (इसके बाद संदर्भित)

"एओ" के रूप में) यह था कि क्या रुपये की राशि है। 17,60,00,000 / -उत्तरदाता द्वारा शेयर पूंजी/प्रीमियम के माध्यम से कथित रूप से जुटाए गए लेनदेन वास्तविक थे या नहीं।

3.5 . प्रत्यर्थी कंपनी-निर्धारिती को बुलाया गया था

प्राप्त राशियों का विवरण दें, और निवेशक कंपनियों की पहचान, लेनदारों की साख-योग्यता और लेन-देन की वास्तविकता स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रदान करें।

ए. ओ. ने निर्धारिती को प्रदान करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की

रुपये की राशि के संबंध में जानकारी। 17,60,00,000 दिखाया गया है कि विभिन्न कानूनी संस्थाओं से शेयर पूंजी/प्रीमियम के रूप में प्राप्त किया गया है।

ए. ओ. ने निर्धारिती के ए. आर. को विभिन्न अवसर दिए

कार्यवाही में भाग लें, और उठाए गए प्रश्नों पर आवश्यक स्पष्टीकरण दाखिल करें।

3.6 . निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि संपूर्ण शेयर पूंजी

निर्धारिती द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से खाता प्राप्तकर्ता चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किया गया था, और इस तरह के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे लेन-देन की पहचान और वास्तविकता स्थापित करने के लिए आयकर रिटर्न पावती के रूप में। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 68 का सहारा लेने का कोई कारण नहीं था, और यह कि निर्धारिती कंपनी की जिम्मेदारी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी।

3.7 . एओ ने प्रतिनिधियों को समन जारी किया था

निवेशक कंपनियाँ। समन भेजे जाने के बावजूद, किसी भी निवेशक कंपनी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। विभाग को केवल डाक के माध्यम से प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुईं, जिससे निवेशक कंपनियों की पहचान के बारे में संदेह पैदा हुआ।

प्रिंसिपल कॉम ऑफ आईटी (सी. ई. एन. टी.)-I v. एनआरए आयरन और स्टील पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

3.8 . ए. ओ. ने स्वतंत्र रूप से क्षेत्रीय पूछताछ की

निवेशक कंपनियों की पहचान और साख-योग्यता का सम्मान करना और लेन-देन की वास्तविकता की जांच करना। मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी में पूछताछ की गई जहां ये कंपनियाँ स्थित बताई गई थीं।

जाँच के परिणाम का सारांश ए. ओ. द्वारा अपने आदेश में दिया गया है।

निम्नानुसारः

एओ की पूछताछ

एस. नहीं। का नाम

रा

शियाँ

निवेशक

नि

वेश और कर

कंपनी

दा

खिल किए गए विवरणी

क्लिफटन

दिए गए समय पर 29.11.2011 पर दिया गया नोटिस

1 .

95,00,000

प्रतिभूति प्रा. पता लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला

लिमिटेड-मुंबई

लेक्सस इंफोटेक।

95,00,000

2 .

दिए गए समय पर 19.11.2011 पर दिया गया नोटिस

पता लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला है।

लिमिटेड-मुंबई

निक्को प्रतिभूति

दिए गए समय पर 29.11.2011 पर दिया गया नोटिस

3 .

95,00,000

प्रा. लि.

पता लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला है।

मुंबई

4

वास्तविक

सोने का पता गलत है। सही पता है

90,00,000

ट्रेडिंग कं. प्रा.

2 " फ्लोर, बिग थ्री बिल्डिंग जहाँ कार्यालय है

लिमिटेड-मुंबई

हेमा नाम से बंद पाया गया

ट्रेडिंग कं.

हेमा ट्रेडिंग

नोटिस के रूप में सेवा नहीं दी जा सकी

95,00,000

5 .

कं. प्रा. लिमिटेड

उत्तरदाता-निर्धारिती पर उपलब्ध नहीं है

मुंबई

कोई और व्यक्ति।

नोटिस के रूप में सेवा नहीं दी जा सकी

6 .

इटेमिटी मल्टी

90,00,000

ट्रेड प्रा. लि.

उत्तरदाता-निर्धारिती पर उपलब्ध नहीं है

पता दिया गया है। परिसर का स्वामित्व है

मुंबई

कोई और व्यक्ति।

डाक के माध्यम से 15.12.2011 पर एक प्रस्तुति

7 .

नेहा कैसेट्स

लि.

प्राप्त किया गया था जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया था,

प्रा.

कि कंपनी ने 45,000 के लिए आवेदन किया था

रु. 90,00,000

कोलकाता

रुपये के इक्विटी शेयर। 10 / -एन. आर. ए आयरन और

निवेश करें

स्टील प्रा. लिमिटेड प्रत्येक रुपये के प्रीमियम पर।

21.10.2008

190 / - प्रत्येक। कंपनी ने नहीं दिया था

वापस की गई आय

इतना अधिक भुगतान करने का कोई कारण

रु. 9744

प्रीमियम (45,00,000/- Ch. सं. 099302 डी. टी.

21.10.2008 & रु. 45,00,000 / - च. नहीं।

039315 डीटी। 21.10.2008 अक्ष पर खींचा गया

बैंक।

कंपनी ने कुल आय दिखाई थी।

से रु. 9,744 / - ए. वाई. 2009-10 [2019] 4 एस.

सी. आर. के बदले में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15.12.2011 के माध्यम से एक प्रस्तुति

8

वार्नर

रु. 95,00,000

मल्टीमीडिया लिमिटेड डाक प्राप्त हुआ जिसमें यह था

प्रस्तुत किया कि कंपनी ने

निवेश करें

कोलकाता

47, 500 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया।

21.10.2008

10- एन. आर. ए. आयरन एंड स्टील प्रा. लि.

वापस की गई आय

प्रत्येक रुपये के प्रीमियम पर। 190 / - प्रत्येक।

रु. नील

कंपनी ने कुछ नहीं दिया था

इतना अधिक भुगतान करने का कारण

प्रीमियम। (50,00,000 / - च. सं. 000084

डीटी। 21.10.2008 & रु. 45,00,000 / - च.

सं. 000083 डीटी। 21.10.2008 पर खींचा गया

कोटक महिंद्रा बैंक।

कंपनी ने शून्य आय दिखाई थी।

ए. वाई. 2009-10 के लिए।

9 .

गोपिकर आपूर्ति

15.12.2011 के माध्यम से एक प्रस्तुति

प्रा.

लिमिटेड

डाक प्राप्त किया गया था जहाँ यह था

रु. 90,00,000

प्रस्तुत किया कि कंपनी ने

निवेश करें

कोलकाता

रुपये के 45,000 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया।

21.10.2008

वापसी आय

10 / - एन. आर. ए. आयरन एंड स्टील प्रा. लि.

प्रत्येक रुपये के प्रीमियम पर। 190 / - प्रत्येक।

Rs.28,387

कंपनी ने कुछ नहीं दिया था

इतना अधिक भुगतान करने का कारण

प्रीमियम। (50,00,000 / - च. सं. 000040

डीटी। 21.10.2008 & रु. 40,00,000 / - च.

सं. 000039 डी. टी. 21.10.2008 पर खींचा गया

कंपनी ने आय दिखाई थी

रु. 28,387 / - ए. वाई. 2009-10 के लिए।

गंगा बिल्डर्स

यह प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी ने

10 .

रु. 90,00,000

एन. आर. ए. आयरन के शेयरों के लिए आवेदन किया और

लिमिटेड कोलकाता

निवेश करें

स्टील Pvt.Ltd। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

निर्दिष्ट किया कि कितने शेयर हैं, और

21.10.2008

उन्होंने कितना प्रीमियम खरीदा था। द.

वापसी आय

कंपनी ने अपने बैंक को बंद नहीं किया था

Rs.5850

निधि के स्रोत को दर्शाने वाला विवरण

आवेदन

हिस्सेदारी के लिए

पैसा।

(50,00,000 / - च. सं. 000001 डीटी।

24.10.2008 & रु. 40,00,000 / - च. नहीं।

000002 डीटी। 24.10.2008 कोटक पर खींचा गया

महिंद्रा बैंक।

कंपनी ने आय दिखाई थी

रु.

5,850 / - ए. वाई. 2009-10 आर. आई. एन. सी. आई. पी. ए. एल. कम ऑफ आई. टी. (सी. ई. एन. टी.)-आई. वी. एनआरए आयरन और स्टील पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

ग्रोमोर फंड यह प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी के पास था

47, 500 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया। 10 /

रु.

95,00,000

प्रबंधन

लिमिटेड कोलकाता

एन. आर. ए. आयरन एंड स्टील प्रा. लिमिटेड प्रत्येक ए में

नि

वेश करें

रुपये का प्रीमियम। 190 / - प्रत्येक। कंपनी ने

2

4.10.2008

वापसी

आय

ऐसा भुगतान करने का कोई कारण नहीं बताया था

उच्च प्रीमियम

रु. 14130

कंपनी ने रुपये की आय दिखाई थी।

14,130 / - ए. वाई. 2009-10 के लिए

यह प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी ने

बयानवाला

47, 500 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया। 10 /

रु.

95,00,000

ब्रदर्स प्रा. लिमिटेड कोलकाता

नि

वेश करें

एन. आर. ए. आयरन एंड स्टील प्रा. लिमिटेड प्रत्येक ए में

रुपये का प्रीमियम। 190 / - प्रत्येक। कंपनी ने

6.11.2008

इस तरह की वापसी आय का भुगतान करने का कोई कारण नहीं बताया था। उच्च प्रीमियम (50,00,000/- Ch No.

10626

000020 डीटी। 06.11.2008 & रु. 45,00,000 /

कोटक महिंद्रा बैंक

कंपनी ने रुपये की आय दिखाई थी।

10,626 / - ए. वाई. 2009-10 के लिए

सुपर फाइनेंस

यह प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी ने

एनआरए आयरन एंड स्टील के शेयरों के लिए आवेदन किया गया

लिमिटेड कोलकाता

प्रा. लि. हालाँकि, उन्होंने निर्दिष्ट नहीं किया था

रु.

90,00,000

कितने शेयर, और किस प्रीमियम पर

नि

वेश करें

उन्होंने खरीद लिया था। कंपनी ने नहीं किया था

1

7.11.2008

रुपये की वापसी आय दिखाने वाला उनका बैंक विवरण संलग्न करें।

शेयर आवेदन राशि के लिए निधि का स्रोत।

10730

(50,00,000 / - च. सं. 069123 डी।

17.11.2008 & रु. 40,00,000 / - च. नहीं।

069124 डीटी। 17.11.2008 डॉयचे पर तैयार किया गया

बैंक।

कंपनी ने रुपये की आय दिखाई थी।

10,730 / - ए. वाई. 2009-10 के लिए

यह प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी ने

शिवलक्ष्मी

निर्यात करें।

लिमिटेड ने 47,500 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया। 10 /

एन. आर. ए. आयरन एंड स्टील प्रा. लिमिटेड प्रत्येक ए में

रु.

95,00,000

कोलकाता

नि

वेश करें

रुपये का प्रीमियम। 190 / - प्रत्येक। कंपनी ने ऐसा भुगतान करने का कोई कारण नहीं बताया था

1

8.11.2008

उच्च प्रीमियम (50,00,000/- Ch No.

वापसी

आय

121824 डीटी। 18.11.2008 & रु. 45,00,000 /

रु. 10480

चै. नं. 121825 डीटी। 18.11.2008 पर खींचा गया

ड्यूश बैंक।

कंपनी ने रुपये की आय दिखाई थी।

10,480 / - ए. वाई. 2009-10 [2019] 4 एस. सी. आर. के लिए।

15 नटराज विनय यह प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी के पास था

लिमिटेड ने 41,500 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया।

10 /

प्रा.

रु. 95,00,000

निवेश करें

कोलकाता

एन. आर. ए. आयरन एंड स्टील प्रा. लिमिटेड प्रत्येक ए में

19.11.2008

रुपये का प्रीमियम। 190 / - प्रत्येक। कंपनी ने

वापसी आय

ऐसा भुगतान करने का कोई कारण नहीं बताया था उच्च प्रीमियम (50,00,000/- Ch. नहीं।

Rs.42083

000098 डीटी। 19.11.2008 & रु. 45,00,000 /

च. सं. 000009 डीटी। 19.11.2008 पर खींचा गया

कोटक महिंद्रा बैंक।

कंपनी ने रुपये की आय दिखाई थी।

42,083 / - ए. वाई. 2009-10 के लिए यह प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी ने

16 नीलकण्ठ

95,00,000

47, 500 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया।

10

वस्तुएँ

वापसी आय

Rs.9420

प्रा.

एन. आर. ए. आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड प्रत्येक ए में

कोलकाता

रुपये का प्रीमियम। 190 / - प्रत्येक। कंपनी ने

ऐसा भुगतान करने का कोई कारण नहीं बताया था

उच्च प्रीमियम (50,00,000/- Ch. नहीं।

209681 डीटी। 5.12.2008 & रु. 45,00,000 /

च. सं. 209677 डी. टी. 5.12.2008 पर खींचा गया

सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब

रु. 95 5.12.2008 पर लाखों का निवेश किया गया

2 चेकों द्वारा

कंपनी ने रुपये की आय दिखाई थी।

9,470 / - ए. वाई. 2009-10 के लिए

यह प्रस्तुत किया गया था कि कंपनी ने

17 प्रमुख।

प्रा. 47, 500 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया। 10

व्याप्पर

रु. 95,00,000

लिमिटेड कोलकाता

निवेश करें

एन. आर. ए. आयरन एंड स्टील प्रा. लिमिटेड प्रत्येक ए में रुपये का प्रीमियम। 190 / - प्रत्येक। कंपनी ने

5.12.2008

2 चेकों द्वारा

ऐसा भुगतान करने का कोई कारण नहीं बताया था

उच्च प्रीमियम (50,00,000/- Ch. नहीं।

वापसी आय

205185 डीटी। 5.12.2008 & रु. 45,00,000 /

Rs.10307

च. सं. 205189 डी. टी. 5.12.2008 पर खींचा गया

एचडीएफसी (सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब)

कंपनी ने रुपये की आय दिखाई थी।

10,307 / - ए. वाई. 2009-10 के लिए

एओ ने दर्ज किया कि मुंबई में पूछताछ से पता चला कि

मुंबई में चार कंपनियों में से दो कंपनियों को दिए गए पते पर अस्तित्व में नहीं पाया गया।

कोलकाता की कंपनियों के संबंध में, प्रतिक्रिया इसके माध्यम से आई

केवल डाक। हालाँकि, कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, न ही उन्होंने उस धन के स्रोत की पुष्टि करने के लिए अपने बैंक विवरण प्रस्तुत किए जिससे कथित निवेश किए गए थे।

प्रिंसिपल कॉम ऑफ आईटी (सी. ई. एन. टी.)-I v. एनआरए आयरन और स्टील पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

गुवाहाटी की कंपनियों-इस्पात शीट लिमिटेड और नॉवेल्टी ट्रेडर्स लिमिटेड के संबंध में पूछताछ से पता चला कि वे दिए गए पते पर मौजूद नहीं थीं।

3.9 . आयोजित विस्तृत पूछताछ के आधार पर, ए. ओ. ने माना कि निर्धारिती निवेशक कंपनियों की पहचान और लेनदेन की वास्तविकता को साबित करने में विफल रहा है।

ए. ओ. ने पाया किः

आई. निवेशक-कंपनियों में से कोई भी जिसने रुपये के बीच की राशि का निवेश किया था। 90,00,000 और रु. 95,00,000 प्रत्यर्थी कंपनी में शेयर पूंजी के रूप में-ए. वाई. 2009-10 के दौरान निर्धारिती, रुपये के इतने उच्च प्रीमियम पर निवेश करने को उचित ठहरा सकता है। 190 प्रत्येक शेयर के लिए, जब शेयरों का अंकित मूल्य

केवल रु। 10 ;

ii. कुछ निवेशक कंपनियाँ अस्तित्वहीन पाई गईं। iii. लगभग किसी भी कंपनी ने इतनी बड़ी कमाई करने के लिए धन के स्रोत को स्थापित करने के लिए बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

शेयरों में निवेश, भले ही वे एक घोषणा कर रहे थे

उनके रिटर्न में बहुत कम आय;

iv. निवेशक-कंपनियों में से कोई भी ए. ओ. के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

लेकिन केवल डाक के माध्यम से एक लिखित जवाब भेजा।

ए. ओ. ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती तथाकथित की साख योग्यता के ठोस साक्ष्य द्वारा दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है।

निवेशक-कंपनियाँ, या लेन-देन की वास्तविकता।

नतीजतन, रुपये की राशि। 17,60,00,000 / - निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में वापस जोड़ा गया था

सवाल करते हैं।

4. प्रत्यर्थी कंपनी-निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील)-I, नई दिल्ली के समक्ष एक अपील दायर की। रिलायंस

सी. आई. टी. बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर रखा गया था। लवली एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

" कंपनी के मामले में धारा 68 के तहत कानून के निम्नलिखित प्रस्ताव हैं। निर्धारिती को प्रथम दृष्टया साबित करना होगा (1) लेनदार/अभिदाता की पहचान; (2) लेन-देन की वास्तविकता, अर्थात्, क्या इसे प्रेषित किया गया है।

1 (2008) 299 आईटीआर 268 (दिल्ली)

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बैंकिंग या अन्य निर्विवाद तोपों के माध्यम से; (3)

अभिदाता; (4) यदि लेनदार/अभिदाता के पैन अभिलिखिता के पते के प्रासंगिक विवरण के साथ-साथ शेयरधारक रजिस्टर, शेयर आवेदन पत्र, शेयर हस्तांतरण रजिस्टर, आदि की प्रतियां हैं, तो यह निर्धारिती द्वारा स्वीकार्य प्रमाण या स्वीकार्य स्पष्टीकरण होगा; (5) विभाग केवल इसलिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा क्योंकि लेनदार / अभिदाता अपने नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है;

निर्धारण अधिकारी जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध है

लेनदार/अभिदाता की साख, लेन-देन की वास्तविकता और अस्वीकृति की सच्चाई। फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को खारिज कर दिया गया।

आयकर आयुक्त (अपील)-I, नई दिल्ली ने दिनांकित 11.04.2014 आदेश के माध्यम से ए. ओ. द्वारा किए गए जोड़ को हटा दिया।

इस आधार पर कि प्रत्यर्थी ने निवेशक कंपनियों से पुष्टिकरण, उनकी आयकर विवरणी, पैन संख्या के साथ पावती, उनके बैंक खाते की प्रतियां दाखिल की थीं ताकि यह दिखाया जा सके कि पूरी राशि का भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था, और इसलिए शेयरधारकों की विश्वसनीयता और पहचान स्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 68 के तहत प्रारंभिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया।

5. राजस्व ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद "आई. टी. ए. टी". के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक अपील दायर की। आई. टी. ए. टी. ने अपील को खारिज कर दिया और सी. आई. टी. (ए) के आदेश की पुष्टि इस आधार पर की कि निर्धारिती ने निवेशकों की पहचान और साख-योग्यता स्थापित करने के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाई थी, विशेष रूप से जब निवेशक कंपनियों ने अपना रिटर्न दाखिल किया था और उनका मूल्यांकन किया जा रहा था। 6. राजस्व ने आई. टी. ए. सं. 244/2018 यू/एस. के साथ एक अपील दायर की। 260 के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम का ए

न्यायाधिकरण। प्रत्यर्थी कंपनी-निर्धारिती उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, मामला एकतरफा चला गया। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के माध्यम से राजस्व द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया

दिनांक 26.02.2018, और इस आधार पर न्यायाधिकरण के निर्णय की पुष्टि की कि उसके समक्ष उठाए गए मुद्दों को तथ्यों पर आग्रह किया गया था, और निचली अपीलीय अधिकारियों ने प्रासंगिक पर विचार करने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा था परिस्थितियाँ। इसलिए उनके विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठा।

प्रिंसिपल कॉम ऑफ आईटी (सी. ई. एन. टी.)-I v. एनआरए आयरन और स्टील पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

7. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित राजस्व ने वर्तमान एस. एल. पी. दायर की। (ग) इस न्यायालय के समक्ष सं. 29855/2018। इस न्यायालय ने छह सप्ताह में वापस करने योग्य 12.11.2018 पर नोटिस जारी किया। उत्तरदाता कंपनी-निर्धारिती पर सेवा प्रभावित होने के बाद, मामला 02.01.2019 पर सूचीबद्ध किया गया था। हालाँकि, कोई भी प्रतिवादी कंपनी-निर्धारिती की ओर से उपस्थित नहीं हुआ। नतीजतन, मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया और 18.01.2019 पर पोस्ट कर दिया गया, जब यह आदेश दिया गया कि यदि प्रतिवादी कंपनी-निर्धारिती उपस्थिति दर्ज नहीं करने का विकल्प चुनती है, तो मामले का एकतरफा निपटान किया जाएगा।

इसके बाद मामले को फिर से 23.01.2019 पर सूचीबद्ध किया गया, जब निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

" मामले में 12.11.2018 पर नोटिस जारी किया गया था, 22.12.2018 दिनांकित कार्यालय रिपोर्ट ने संकेत दिया कि नोटिस जारी किया गया था

एकमात्र उत्तरदाता लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था।

दिनांक 02.01.2019 के आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी को अंतिम अवसर दिया गया था और यह संकेत दिया गया था कि यदि प्रत्यर्थी ने उपस्थिति दर्ज नहीं करने का विकल्प चुना, तो मामले का पूर्व में निपटान कर दिया जाएगा।

भाग लें। तब भी कोई दिखाई नहीं दिया।

मामले को देखने के बाद, हम प्रतिवादी को उपस्थिति दर्ज करने और मामले के गुण-दोष के संबंध में प्रस्तुतियाँ करने का एक और अवसर देते हैं। यदि प्रत्यर्थी फिर भी उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुनता है, तो मामले पर निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा। पूर्व-पक्ष। ”

प्रत्यर्थी कंपनी-निर्धारिती हालांकि बनी रही

बाद की तारीखों पर भी प्रतिनिधित्व नहीं किया गया अर्थात 31.01.2019 पर और

05.02.2019 . आखिरकार मामले की सुनवाई 05.02.2019 पर हुई, जब फैसला सुरक्षित रखा गया।

8. हमने एल. डी. सुना है। राजस्व के लिए वकील, और रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच की। 8.1 . निर्धारण के लिए जो मुद्दा उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी/निर्धारिती ने उक्त की धारा 68 के तहत आवश्यक लेन-देन की वास्तविकता को स्थापित करने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया था।

एक्ट करें।

आई. टी. अधिनियम की धारा 68 (वित्त अधिनियम, 2012 से पहले)

निम्नलिखित हैः

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 68. नकद ऋण-जहाँ कोई राशि जमा की जाती है।

किसी भी पिछले वर्ष के लिए रखे गए निर्धारिती की बही, और

निर्धारिती प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है।

आय-कर से निर्धारिती की आय के रूप में प्रभारित किया जाए कि पिछले साल '

(जोर दिया गया)

"पुस्तकों में जमा की गई कोई भी राशि" शब्दों का उपयोग

अधिनियम की धारा 68 इंगित करती है कि यह धारा व्यापक रूप से लिखी गई है, और इसमें शेयर पूंजी या शेयर प्रीमियम की शुरुआत द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

8.2 . स्थापित कानून के अनुसार, स्थापित करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी निर्धारिती पर है

लेन-देन की वास्तविकता और अधिनियम की धारा 68 के तहत निवेशकों की ऋण योग्यता के ठोस साक्ष्य द्वारा।

निर्धारिती से अपेक्षा की जाती है कि वह संतुष्टि के लिए स्थापित करे

मूल्यांकन अधिकारी 2:

- लेनदारों की पहचान का प्रमाण;

  ऋणदाताओं की धन अग्रिम करने की क्षमता; और

- लेन-देन की वास्तविकता

काले खान मोहम्मद के लैंडमार्क मामले में यह अदालत

हनीफ वी. सी. आई. टी. 3 और रोशन दी हट्टी बनाम। सी. आई. टी. ने निर्धारित किया कि किसी निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई राशि के स्रोत को साबित करने की जिम्मेदारी निर्धारिती पर है। एक बार जब निर्धारिती पहचान, लेन-देन की वास्तविकता और ऋण योग्यता से संबंधित दस्तावेज जमा कर देता है, तो एओ को एक जांच करनी चाहिए, और धारा 68 को लागू करने से पहले अधिक विवरण के लिए कॉल करना चाहिए। यदि निर्धारिती किए गए निवेशों की प्रकृति और स्रोत के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं है, तो राजस्व के लिए यह मानने की छूट है कि यह निर्धारिती की आय है, और यह दिखाने के लिए कि आय किसी विशेष स्रोत से है, राजस्व पर आगे कोई बोझ नहीं होगा।

8.3 . लेन-देन की वास्तविकता के मुद्दे के संबंध में, यह है

निर्धारिती को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा यह साबित करने के लिए कि

2 सी. आई. टी वी. प्रिसिजन फाइनेंस प्रा. लिमिटेड (1994) 208 आईटीआर 465 (कैल) 3 [1963] 50 आईटीआर 1 (एससी)

4 [1977] 107 आईटीआर (एससी)

प्रिंसिपल कॉम ऑफ आईटी (सी. ई. एन. टी.)-I v. एनआरए आयरन और स्टील पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

शेयर पूंजी में किए गए निवेश वास्तविक उधार हैं, क्योंकि तथ्य विशेष रूप से निर्धारिती के ज्ञान में होते हैं।

सी. आई. टी. बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय। ओएसिस हॉस्पिटैलिटीज प्रा. Ltd.5,

मान लिया किः

" धारा 68 की शरारत को दूर करने के लिए आवश्यक तीन चीजें स्थापित करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी निर्धारिती पर है। वे इस प्रकार हैंः (i) निवेशकों की पहचान; (ii) उनकी साख योग्यता / निवेश; और (iii) लेन-देन की वास्तविकता। केवल जब ये तीन तत्व प्रथम दृष्टया स्थापित किए जाते हैं,

विभाग को आगे की कवायद करने की आवश्यकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल निवेशकों की पहचान साबित करने से निर्धारिती की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होता है, यदि क्षमता या ऋण

योग्यता स्थापित नहीं की गई है।

शंकर घोष बनाम। आई. टी. ओ., निर्धारिती साबित करने में विफल रहा

उस व्यक्ति की वित्तीय क्षमता जिससे उसने कथित रूप से ऋण लिया था। ऋण राशि को उचित रूप से निर्धारिती की अपनी अघोषित आय माना गया था। 8.4 . रिलायंस को सी. आई. टी. बनाम के निर्णय पर भी रखा गया था। कामधेनू स्टील एंड अलॉयज लिमिटेड और अन्य जिसमें न्यायालय ने कहा किः

" 38. उस तत्काल मामले में भी, यह राजस्व द्वारा अनुमानित है

कि आयकर निदेशालय (जांच) ने

कथित तौर पर उधार प्रविष्टियों के एकमात्र उद्देश्य के साथ तैरती हुई फर्जी कंपनियों का ऐसा रैकेट पाया गया। लेकिन, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सारी कवायद अगर व्यर्थ गई क्योंकि आवेदक बैंकों और निर्धारिती के बैंक खातों में जमा मामले के बीच कारण संबंध का पता लगाने के लिए राजस्व द्वारा कुछ और कदम नहीं उठाए गए थे। निर्धारिती को स्रोत के साथ जोड़ना आवश्यक है जब वह लिंक गायब हो, तो निर्धारिती को इस तरह के दायित्व के साथ जोड़ना मुश्किल है।

9. उद्धृत निर्णयों में कहा गया है कि मूल्यांकन अधिकारी को क्रेडिट प्रविष्टियों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।

5 333 आईटीआर 119 (दिल्ली) (2011) 6 [1985] 23 टी. टी. जे. (कैल.)

7 (2012) 206 टैक्समैन 254 (दिल्ली)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान मामले में, मूल्यांकन अधिकारी ने एक स्वतंत्र

तथाकथित निवेशक कंपनियों के सर्वेक्षण सहित विस्तृत पूछताछ

मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी की साख-योग्यता को सत्यापित करने के लिए

कला, निवेशित धन का स्रोत, और कार्यों की वास्तविकता। फील्ड रिपोर्टों से पता चला कि शेयरधारक थे

गैर-मौजूद, या क्रेडिट-योग्यता की कमी।

10. अस्पष्टीकृत ऋण प्रविष्टियों/शेयर पूंजी के मुद्दे पर, हम

निम्नलिखित निर्णयों की जांच की गईः

आई. सुमति दयाल बनाम। सी. आई. टी. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" यदि निर्धारिती द्वारा प्रकृति के बारे में दिया गया स्पष्टीकरण

और इसका स्रोत, निर्धारण अधिकारी की राय में है, संतोषजनक नहीं है, इसके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत है

निर्धारिती, वि. , धन की प्राप्ति, और यदि वह खंडन करने में विफल रहता है

उसी तरह, उक्त साक्ष्य के अप्रमाणित होने का उपयोग इसके खिलाफ किया जा सकता है उसे यह मानते हुए कि यह आय की प्रकृति की रसीद है। जबकि

निर्धारिती के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, विभाग हालाँकि, अनुचित तरीके से कार्य नहीं कर सकते "

ii. सी. आई. टी. वी. पी. मोहनकला 'इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 68 का एक नंगे पाठ,

यह सुझाव देता है कि (i) पुस्तकों में राशियों का जमा होना चाहिए।

निर्धारिती प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है। पुस्तकों में पाए जाने वाले ऐसे श्रेयों का या (ख) स्पष्टीकरण

निर्धारण अधिकारी की राय में निर्धारिती द्वारा प्रस्तावित,

संतोषजनक नहीं है। तभी इस प्रकार जमा की गई राशि

कि पिछले साल। "निर्धारिती कोई पेशकश नहीं करता है" अभिव्यक्ति "स्पष्टीकरण" का अर्थ है कि निर्धारिती कोई उचित, उचित प्रस्ताव नहीं देता है।

और पाई गई राशियों के संबंध में स्वीकार्य स्पष्टीकरण

निर्धारिती पर यह दलील लेने का भार है कि, भले ही स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, सामग्री और उपस्थिति

अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियाँ पाई गई राशि को उचित नहीं ठहराती हैं। आय की रसीद के रूप में मानी जाने वाली पुस्तकों में जमा किया गया

प्रकृति।

(जोर दिया गया)

आई. टी. आर. 278 प्रिंसिपल कॉम ऑफ आई. टी. (सी. ई. एन. टी.)-आई. वी. एनआरए आयरन और स्टील पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

iii. दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में

PR.CIT-6, नई दिल्ली बनाम। एन. डी. आर. प्रमोटर्स प्रा. Ltd.[1]0 10 ने मामले के तथ्यों पर निर्धारिती कंपनी में फर्जी शेयर पूंजी शुरू करने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन को बरकरार रखा।

iv. अदालतों ने माना है कि नकद क्रेडिट प्रविष्टियों के मामले में, यह

निर्धारिती के लिए आवश्यक है कि वह न केवल लेनदारों की पहचान साबित करे, बल्कि लेनदारों की धन अग्रिम करने की क्षमता को भी साबित करे और लेन-देन की वास्तविकता को स्थापित करे। प्रमाण की प्रारंभिक जिम्मेदारी निर्धारिती पर होती है। रोशन दी हट्टी बनाम में यह न्यायालय। सी. आई. टी. 1 ने अभिनिर्धारित किया कि यदि निर्धारिती ठोस साक्ष्य और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो ए. ओ. निर्धारिती की आय में परिवर्धन वापस करने के लिए उचित होगा।

v. गुवाहाटी उच्च न्यायालय नेमी चंद कोठारी बनाम. सीआईटी 1 2

यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि लेन-देन चेक द्वारा होता है, बोझ का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। निर्धारिती को लेनदारों की पहचान और लेन-देन की वास्तविकता साबित करनी होती है। :

" यह नहीं कहा जा सकता है कि एक लेन-देन, जो द्वारा होता है

अपने लेनदारों की पहचान, की वास्तविकता को साबित किया है लेन-देन जो उसने अपने लेनदारों के साथ किए थे, और

लेन-देन की तुलना में उसके लेनदारों की साख योग्यता

जो उसके पास लेनदारों के पास था, उसका बोझ हटा दिया जाता है

और बोझ तब राजस्व में स्थानांतरित हो जाता है यह दिखाने के लिए कि हालांकि

चेक द्वारा कवर की गई, विचाराधीन राशि, वास्तव में स्वयं निर्धारिती से संबंधित था या उसका स्वामित्व था "

(जोर दिया गया)

vi. हाल के एक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि

शेयर आवेदन धन के संबंध में लेन-देन की साख-योग्यता या वास्तविकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या दोनों पक्ष एक-दूसरे से संबंधित हैं या एक-दूसरे को जानते हैं, या जिस तरीके से पक्ष एक-दूसरे से संपर्क करते हैं, क्या लेनदेन निवेश की सुरक्षा के लिए लिखित दस्तावेज के माध्यम से किया जाता है, क्या निवेशक एक दूत निवेशक था, निवेश किए गए धन की मात्रा, प्राप्तकर्ता की साख-योग्यता, वस्तु

11 (1992) 2 एस. सी. सी. 378 12 [2003] 264 आई. टी. आर. 254 (गौ.)

13 सी. आई. टी वी. एनआर पोर्टफोलियो (पी.) लिमिटेड [2014] 42 कर अधिकारी। com 339/222 टैक्समैन 157 (मैग.) (दिल्ली)

विज्ञापन उद्देश्य जिसके लिए भुगतान/निवेश किया गया था, आदि। द.

किसी कंपनी का निगम, और बैंकिंग चैनल आदि द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकता है।

सभी मामले जिम्मेदारी के संतोषजनक निर्वहन के समान हैं।

vii. अन्य मामले जहां शेयर आवेदन धन का मुद्दा है

धारा 68 आई. टी. v. के संदर्भ में किसी निर्धारिती द्वारा जांच की गई थी। डिवाइन लीजिंग एंड फाइनैंसिंग Ltd.[1]4, और CIT v. मूल्य पूँजी

सर्विस (पी.) लिमिटेड 15

11. वे सिद्धांत जो उभरते हैं जहाँ धन की राशि होती है

शेयर पूंजी/प्रीमियम के रूप में संपादित हैंः

आई. निर्धारिती वास्तविकता साबित करने के लिए एक कानूनी दायित्व के तहत है।

लेन-देन की पहचान, लेनदारों की पहचान और उन निवेशकों की ऋण योग्यता जिनके पास वित्तीय योग्यता होनी चाहिए।
प्रश्नगत निवेश को संतोषजनक बनाने की क्षमता

एओ का, ताकि प्राथमिक दायित्व का निर्वहन किया जा सके।

ii. निर्धारण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह लेनदार/अभिदाता की ऋण योग्यता की जांच करे, उसकी पहचान का सत्यापन करे।

अभिदाता, और यह सुनिश्चित करें कि लेन-देन वास्तविक है या नहीं,

या ये नाम-उधारदाताओं की फर्जी प्रविष्टियाँ हैं।

iii. यदि पूछताछ और जांच से पता चलता है कि लेनदारों की पहचान संदिग्ध या संदिग्ध है, या उनमें साख-योग्यता की कमी है,

तब लेन-देन की वास्तविकता नहीं होगी

स्थापित किया गया।

ऐसे मामले में, निर्धारिती ने प्राथमिक भुगतान नहीं किया होगा।

अधिनियम की धारा 68 द्वारा विचार किया गया।

12. वर्तमान मामले में, ए. ओ. ने विस्तृत जांच की थी जिसमें पता चला था किः

आई. रिकॉर्ड पर यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, या यहाँ तक कि दूर से भी सुझाव दिया गया था कि शेयर आवेदन का पैसा प्राप्त हुआ था।

स्वतंत्र कानूनी संस्थाएं। सर्वेक्षण से पता चला कि कुछ निवेशक कंपनियाँ अस्तित्व में नहीं थीं और उनका कोई कार्यालय नहीं था

निर्धारिती द्वारा उल्लिखित पते पर।

उदाहरण के लिएः

ए। हेमा ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लि. लिमिटेड और एटर्निटी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। मुंबई में लिमिटेड, दिए गए पते पर अस्तित्व में नहीं पाया गया, और परिसर किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में था।

[2008] 307 आई. टी. आर. 334 आई. एन. सी. आई. पी. ए. एल. कम ऑफ आई. टी. (सी. ई. एन. टी.)-आई. वी. एनआरए आयरन और स्टील पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

बी। कोलकाता की कंपनियाँ ए. ओ. के सामने पेश नहीं हुईं और न ही उन्होंने धन के स्रोत की पुष्टि करने के लिए अपने बैंक विवरण प्रस्तुत किए जिनसे कथित निवेश किए गए थे।

बनाए गए थे।

सी। गुवाहाटी में दो कंपनियाँ। इस्पात शीट लिमिटेड और नोवेल्टी ट्रेडर्स लिमिटेड का अस्तित्व नहीं पाया गया।

पता दिया गया है।

लेन-देन की वास्तविकता पूरी तरह से पाई गई

फुल।

ii. पूछताछ से पता चला कि निवेशक कंपनियों ने दाखिल किया था

एक नगण्य कर योग्य आय के लिए रिटर्न, जो यह दर्शाता है कि निवेशकों के पास रुपये के बीच धन निवेश करने की वित्तीय क्षमता नहीं थी। 90,00,000 रु. तक। 95,00,000 में इस प्रकार के शेयरों की खरीद के लिए निर्धारण वर्ष 2009-10

उच्च प्रीमियम।

उदाहरण के लिए:

नेहा कैसेट्स प्रा. लिमिटेड-कोलकाता ने एक करोड़ रुपये की कर योग्य आय का खुलासा किया था। 9,744 / - ए. वाई. 2009-10 के लिए, लेकिन मूल्य के शेयर खरीदे थे

रुपये, 90,00,000 निर्धारिती कंपनी में।

इसी तरह वार्नर मल्टीमीडिया लिमिटेड-कोलकाता ने एन. आई. एल. रिटर्न दाखिल किया।

लेकिन रुपये के शेयर खरीदे थे। 95,00,000 निर्धारिती में

कंपनी-उत्तरदाता।

एक अन्य उदाहरण गंगा बिल्डर्स लिमिटेड-कोलकाता का है जिसने रुपये में रिटर्न दाखिल किया था। 5,850 लेकिन रुपये के शेयरों में निवेश किया। 90,00,000 निर्धारिती कंपनी में-उत्तरदाता, आदि। iii. निवेशक कंपनियों ने निर्धारिती के शेयरों के लिए आवेदन क्यों किया था, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

रुपये के उच्च प्रीमियम पर कंपनी। 190 प्रति शेयर, हालांकि

शेयर का अंकित मूल्य रु। 10 / - प्रति शेयर।

iv. इसके अलावा, तथाकथित निवेशक कंपनियों में से कोई भी नहीं

धन के स्रोत की स्थापना की जिसमें से उच्च हिस्सा

प्रीमियम का निवेश किया गया था।

v. किसी निवेशक की आयकर फाइल संख्या का मात्र उल्लेख धारा 68 के तहत दायित्व का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

अधिनियम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अपीलीय अधिकारियों ने क्षेत्रीय जांच और जांच से ए. ओ. के विस्तृत निष्कर्षों की अनदेखी की है।

उनके कार्यालय द्वारा किया गया। नीचे दिए गए अधिकारियों ने गलती से यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल इसलिए कि प्रत्यर्थी कंपनी-निर्धारिती ने सभी प्राथमिक साक्ष्य दाखिल किए थे, इसलिए निर्धारिती की जिम्मेदारी समाप्त हो गई। निचली अपीलीय अधिकारी यह समझने में विफल रहे कि जिन निवेशक कंपनियों ने अल्प या शून्य आय के साथ आयकर रिटर्न दाखिल किया था, उन्हें यह बताना पड़ा कि उन्होंने एसेस कंपनी-प्रतिवादी में इतनी बड़ी राशि कैसे निवेश की थी। स्पष्ट रूप से निवेशक कंपनियों की ऋण योग्यता स्थापित करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई थी। पूरा लेन-देन फर्जी लग रहा था और इसमें विश्वसनीयता का अभाव था।

निचली अदालत/अधिकारियों ने एओ द्वारा की गई फील्ड जांच का विज्ञापन भी नहीं दिया, जिससे पता चला कि कई मामलों में निवेशक ने

कंपनियों को अस्तित्वहीन पाया गया और निवेशक कंपनियों की पहचान स्थापित करने की जिम्मेदारी निर्धारिती द्वारा पूरी नहीं की गई।

14. शेयर पूंजी/प्रीमियम के लबादा के माध्यम से गैर-लेखा धन के रूपांतरण की प्रथा की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। यह विशेष रूप से शेयरों के निजी नियोजन के मामले में होगा, जहां निर्धारिती पर अधिक जिम्मेदारी रखी जानी चाहिए क्योंकि जानकारी निर्धारिती की व्यक्तिगत जानकारी में है। निर्धारिती ए. ओ. की संतुष्टि के लिए शेयर पूंजी/प्रीमियम की प्राप्ति को साबित करने के लिए एक कानूनी दायित्व के तहत है, जिसकी विफलता, निर्धारिती की आय में उक्त राशि को जोड़ने को उचित ठहराएगी।

15. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, स्पष्ट रूप से निर्धारिती कंपनी-प्रतिवादी धारा 68 के तहत आवश्यक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा।

अधिनियम में, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की आय में राशि वापस जोड़ने के लिए उचित ठहराया गया था।

16. अपीलार्थी द्वारा दायर अपील-राजस्व की अनुमति है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर निर्धारित कानून में, उच्च न्यायालय, आई. टी. ए. टी. और सी. आई. टी. के निर्णय को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है। एओ द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया जाता है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो तो उनका निपटारा कर दिया जाता है। तदनुसार आदेश दिया।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।